उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–31/2011–12

गोपी ठाकुर एवं अन्य

बनाम्

मो0 तनकाही देवी वगैरह

–: आदेश :–

दिनांक 2/9/24

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता गोपी ठाकुर, पे0–स्व0 महादेव ठाकुर वो श्रीष्टिधर महतो, पे0–स्व0 वासुदेव महतो, सा0–टेशोवथान, थाना–सुन्दरपहाड़ी, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्तागण ने अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–70/2007–08 के आदेश दिनांक–31.01.2012 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है।

अपील वाद की प्रक्रिया के दौरान उत्तरवादी प्रथम पक्ष मो0 तनकाही देवी की मृत्यु होने के कारण उनके स्थान पर पारस राय वो विश्वनाथ राय वो मदन राय वो जनवरी राय, पे0–स्व0 श्याम सुन्दर राय, सा0–माल भादराय, थाना–गोड्डा(मु0) एवं उत्तरवादी द्वितीय तीतु राय के स्थान पर चिन्ता कुमारी, पे0–स्व0 तीतु राय को प्रतिस्थानी पक्षकार बनाया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–टेशोवथान नं0–6, जमाबंदी सं0–11 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में चमरू राय वल्द मनसा राय वो मतलु राय वल्द जीतन राय के नाम से दर्ज है। पर्चा में कुछ दाग नं0 की जमीन अलग–अलग रैयत के नाम से दर्ज है एवं कुछ जमीन इजमाल दर्ज है। इसमें से दाग नं0–119 की जमीन इजमाल दर्ज है। उनका आगे कथन है कि जमाबंदी रैयत मतलु राय ने अपने जीवन काल में उक्त जमाबंदी के दाग नं0–119 में से रकवा 00–02–14 धुर जमीन कुर्फा बंदोवस्ती के द्वारा दिनांक–12.12.1936 को महादेव ठाकुर को बंदोवस्त कर दिया था एवं तब से महादेव ठाकुर उस पर दखलकार हुए तथा महादेव ठाकुर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अपीलकर्त्ता सं0–1 गोपी ठाकुर उक्त जमीन पर दखलकार हुए और उस पर मकान बनाकर सपरिवार निवास करने लगे। उत्तरवादी द्वितीय पक्ष तीतु राय ने भी इस आशय का शपथ पत्र

दिया है कि अपीलकर्त्ता उक्त जमीन पर वर्ष 1936 ई0 से ही दखलकार हैं एवं प्रतिकुल प्रभाव से दखलकार होने के कारण अपीलकर्त्ता का उस पर हक कायम हो गया है। उसी प्रकार उक्त दाग नं0–119 के अन्तर्गत रकवा 00–04–16 धुर जमीन वर्ष 1936 ई0 में जमाबंदी रैयत चमरू राय ने महादेव महतो को कुर्फा बंदोवस्ती के द्वारा दिया है। महादेव महतो उसी समय से उक्त जमीन पर दखलकार हुए। बाद में महादेव महतो ने उक्त जमीन अपनी पुत्री शांति देवी को दे दिया है। शांति देवी अपीलकर्त्ता श्रीष्टिधर महतो की पत्नि है। शांति देवी भी उक्त जमीन पर मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रही है। उनका आगे कथन है कि दोनों अपीलकर्त्ता का उक्त जमीन पर पुराना आवासीय मकान अवस्थित है। उत्तरवादी मो0 तनकाही ने भी अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि उक्त जमीन की प्रकृति कृषि योग्य नहीं रही है। बल्कि इसकी प्रकृति बहुत पहले ही आवासीय भूमि में बदल गयी है। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची का भी निर्णय है कि ऐसी जमीन, जिसका मकान है, उसपर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 लागु नहीं हो सकता है। इसके अलावे संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 56 में भी प्रावधान किया गया कि आवास की जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का भी आदेश स्पष्ट नहीं है। क्योंकि अपीलकर्त्ता गोपी ठाकुर ने रकवा 00–02–14 धुर एवं अपीलकर्त्ता श्रीष्टिधर महतो ने रकवा 00–04–16 धुर जमीन प्राप्त करने का दावा किया है। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अपीलकर्त्ता गोपी ठाकुर को रकवा 00–02–00 धुर एवं अपीलकर्त्ता श्रीष्टिधर महतो को रकवा 00–07–00 धुर जमीन से उच्छेद किया है एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अपने आदेश में जमीन का चौहदी भी अंकित नहीं किया है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने चौहदी अंकित किये बिना ही अस्पष्ट आदेश पारित किया है, जो कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है। इसके अलावे अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने सबजज प्रथम, गोड्डा के न्यायालय में मिस केश नं0–30/18 (तीतु राय बनाम् मो0 तनकाही वगैरह) के विचाराधीन रहते आदेश पारित किया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–टेशोवथान जमाबंदी सं0–11 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में चमरू राय वल्द मनसा राय वो मतलु राय वल्द जितन राय के नाम से दर्ज है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष जमाबंदी रैयत मटरू राय के वंशज है। जमाबंदी रैयत चमरू राय का दखल अलग है एवं जमाबंदी रैयत चमरू राय के वंशज उनके दखल की जमीन पर दखलकार है तथा मालगुजारी रसीद भी कटाते आ रहे हैं। उनका आगे कथन है कि उक्त दाग नं0–119 की जमीन उत्तरवादी प्रथम पक्ष की पैतृक जमीन है। अपीलकर्त्ता का उक्त जमीन पर कोई हक नहीं है। बल्कि सिर्फ जमीन हड़पने के नियत से उक्त जमीन पर दावा कर रहे हैं। लेकिन अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में अपने दावा से संबंधित कोई भी कागजात दाखिल नहीं किया था। अपीलकर्त्ता का यह कहना भी बिल्कुल असत्य है कि उक्त जमीन का स्वरूप बदल गया है। सत्य यह अपीलकर्त्ता जबरन उक्त जमीन को हड़पना चाहता है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को बरकरार ररखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–टेसोबथान नं0–06, जमाबंदी सं0–11 थाना–सुन्दरपहाड़ी की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में चमरू राय, पिता–स्व0 मनसा राय वो मतलु राय, पिता–स्व0 जीतन राय के नाम से दर्ज है। सर्वे सेटलमेंट के समय दोनों जमाबंदी रैयत, जमाबंदी की अलग–अलग जोत आबाद करते थे। इसलिए पर्चा के दखल खाने में दखल अलग–अलग दर्ज पाया गया है। जमाबंदी पर्चा में एक मात्र दाग नं0–119 रकवा 02–09–00 धुर जमीन इजमाल दर्ज पाया गया है, जिसे जमाबंदी रैयत बराबर–बराबर बँटवारा कर अलग–अलग जोत आबाद करने लगे। जमाबंदी रैयत चमरू राय उक्त दाग नं0–119 के रकवा 01–04–10 धुर जमीन पर हकदार एवं दखलकार हुए तथा जमाबंदी रैयत ने अपने जीवन काल में ही वर्ष 1936 ई0 में उक्त दाग नं0–119 के अंदर रकवा 00–02–14 धुर जमीन स्थायी रूप से कुरफानामा द्वारा बंदोवस्त कर दिया है। बंदोवस्तदार उसी समय से अपना आवासीय मकान बनाकर शांतिपूर्ण ढंग से निवास करने लगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिशान आज भी उक्त जमीन पर मकान बनाकर निवास करते चले आ रहे हैं। उक्त

दाग नं0–119 के अंदर बचे रकवा 00–04–16 धुर ज़मीन जमाबंदी रैयत चमरू राय ने अपने जीवनकाल में ही वर्ष 1936 ई0 में अपीलकर्त्ता श्रीष्टिधर महतो के पत्नी शांति देवी के पूर्वज के नाम से स्थायी रूप से कुरफानामा द्वारा बंदोवस्त कर दिया। कुरफा बंदोवस्त के बाद कुर्फादार ने उसपर आवासीय मकान बनाकर निवास करने लगे। फिर बाद में कुरफा बंदोवस्तदार ने पारिवारिक व्यवस्था के तहत अपने पुत्री शांति देवी, पति–श्रीष्टिधर महतो के हिस्से में दे दिया, जिसमें शांति देवी अपने परिवार के साथ निवास कर रही है एवं इसका मालगुज़ारी रसीद हर साल हासिल करती आ रही है। अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी ने भी अपने जाँच प्रतिवेदन में अपीलकर्त्ता के आवासीय मकान होने उल्लेख किया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को निरस्त करने की कृपा की जाय।

उपरोक्त तथ्यों एवं दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौज़ा–टेशोवथान नं0–06, जमाबंदी सं0–11 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में चमरू राय वल्द मनशा राय वो मतलु राय वल्द जितन राय के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–119 के अंदर अपीलकर्त्ता गोपी ठाकुर ने रकवा 00–02–14 धुर एवं अपीलकर्त्ता श्रीष्टिधर महतो ने रकवा 00–04–16 धुर जमीन कुर्फानामा के आधार पर वर्ष 1936 ई0 में प्राप्त करने का दावा किया है। लेकिन प्रतिकूल प्रभाव से दखल होने का कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया है। यह स्पष्ट है कि उक्त जमाबंदी की जमीन रैयती जमीन है एवं संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार उक्त जमीन का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–70/2007–08 में दिनांक–31.01.2012 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.09.11 11:44:44 +05:30
Location: 192.168.1.2

उपायुक्त
गोड्डा।

उपायुक्त
गोड्डा।